न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी :- सुश्री मनीषा (आर0 ए0 एस0)

मुकदमा नं0 :- 226/2015 (52/2008)

दायर दिनांक :- 20.02.2015 (02.06.2008)

उनवान

1. रघुनाथ पुत्र मंगला जाति माली निवासी ग्राम सैंथल तहसील दौसा जिला दौसा।

– (वादी)

बनाम

1 कल्याण पुत्र मंगला
2 सेवली पत्नि पोखर
3 भौरी पत्नि चन्द्र
4 पूनी पत्नि रामेश्वर
5 लाडा पत्नि शंकर
6 कजोड़ पुत्र भूरा
7 तहसीलदार तहसील दौसा, जिला दौसा

समस्त जाति माली निवासी सैंथल तहसील दौसा, जिला दौसा।

–(प्रतिवादीगण)

उपस्थितिः– 1. श्री गंगासहाय शर्मा, अधिवक्ता वादी
2. श्री कन्हैयालाल शर्मा, अधिवक्ता प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha
Date: 2022.02.22 17:24:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
दौसा

दावा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 आरटी एक्ट

:: निर्णय ::

दिनांकः 25-2-2021

वकील मय वादी ने एक वाद दावा तकारस्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की ग्राम सैंथल तहसील दौसा जिला दौसा में आराजी खसरा न0 134 रकबा 0.44 है0, खसरा न0 135 रकबा 1.03 है0, खसरा न0 136 रकबा 0.44 है0, खसरा न0 408 रकबा 0.14 है0, खसरा न0 409 रकबा 0.05 है0, खसरा न0 411 रकबा 0.04 है0 एवं खसरा न0 412 रकबा 0.03 है0, कुल किता 7 कुल रकबा 2.17 है0 भूमि स्थित है। उक्त आराजियात की खातेदारी में वादी का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 कल्याण का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 सेवली का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 भौरी का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 पूनी व प्रतिवादी संख्या 5 लाडा का 1/8 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 6 कजोड़ का 1/8 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। वादी अपने 1/4 हिस्से पर मौके पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। उक्त वाद में वकील वादी ने वाद पत्र पेश कर निम्न अनुतोष प्रदान करने का निवेदन किया हैः-

1. डिक्री तकास्मा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित फरमायी जाकर वादग्रस्त भूमि खसरा न0 134 रकबा 0.44 है0, खसरा न0 135 रकबा 1.03 है0, खसरा न0 136 रकबा 0.44 है0, खसरा न0 408 रकबा 0.14 है0, खसरा न0 409 रकबा 0.05 है0, खसरा न0 411 रकबा 0.04 है0 एवं खसरा न0 412 रकबा 0.03 है0, कुल किता 7 कुल रकबा 2.17 है0 वाके ग्राम सैंथल का मीट्स एण्ड बाउण्डस के अनुसार तकारस्मा किया जाकर वादी के कब्जे काश्त व हिस्से की भूमि को वादी के खाते में अलग से दर्ज कर अलग पर्चा लगान जारी करने के आदेश फरमाये जावे।

2. डिक्री स्थायी निषेधाज्ञा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित फरमायी जाकर पतिवादी संख्या 1 लगायत 6 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिबन्धि[illegible] जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 वादी के 1/4 हिस्से की भूमि में [illegible] उपभोग में बाद तकारस्मा किसी प्रकार की दखलदांजी न करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha
Date: 2022.02.22 17:23:44 IST
Reason: SelfAttested

[signature]
सहायक कलक्टर
दौसा

वादपत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 6 की तरफ से अधिवक्ता कन्हैयालाल शर्मा ने वकालतनामा पेश किया तत्पश्चात दिनांक 19.08.2009 को न्यायालय द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार दौसा को ग्राम सैंथल तहसील दौसा जिला दौसा में आराजी खसरा न0 134 रकबा 0.44 है0, खसरा न0 135 रकबा 1.03 है0, खसरा न0 136 रकबा 0.44 है0, खसरा न0 408 रकबा 0.14 है0, खसरा न0 409 रकबा 0.05 है0, खसरा न0 411 रकबा 0.04 है0 एवं खसरा न0 412 रकबा 0.03 है0, कुल किता 7 कुल रकबा 2.17 है0 भूमि के कुर्रेजात तैयार कर भिजवाने हेतु न्यायालय उपजिला कलक्टर दौसा के पत्रांकः कोर्ट/2009/835 दिनांक 10.09.2009 के द्वारा तहसीलदार दौसा को तहरीर जारी की गई जिसकी पालना में तहसीलदार दौसा के द्वारा कुर्रेजात तैयार कर उनके पत्रांकः भू0अ0/09/7629 दिनांक 11.12.2009 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट न्यायालय उपजिला कलक्टर दौसा को भिजवाई गई। दिनांक 01.12.2009 को अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा प्राथमिक डिक्री को निरस्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र इकतरफा सैटअसाईड आदेश 09 नियम 13 सी.पी.सी. पेश किया। प्रार्थना पत्र इकतरफा सैटअसाईड आदेश 09 नियम 13 सी.पी.सी. का जवाब अधिवक्ता वादी द्वारा दिनांक 04.05.2010 को दिया गया। दिनांक 01.04.2015 को पत्रावली स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय में पेश हुई जिसकी अदालती नोटिस जारी किये गये। दिनांक 27.11.2015 प्रार्थना पत्र इकतरफा सैटअसाईड आदेश 09 नियम 13 सी.पी.सी. की बहस सुनकर प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र इकतरफा सैटअसाईड आदेश 09 नियम 13 सी.पी.सी आंशिक स्वीकार किया जाकर निर्णय व डिक्री दिनांक 19.08.2009 को यथावत रखने के आदेश दिये गये।

इसके पश्चात पत्रावली कुर्रेजात की बहस हेतु नियत की गई। ग्राम सैंथल तहसील दौसा जिला दौसा में आराजी खसरा न0 134 रकबा 0.44 है0, खसरा न0 135 रकबा 1.03 है0, खसरा न0 136 रकबा 0.44 है0, खसरा न0 408 रकबा 0.14 है0, खसरा न0 409 रकबा 0.05 है0, खसरा न0 411 रकबा 0.04 है0 एवं खसरा न0 412 रकबा 0.03 है0, कुल किता 7 कुल रकबा 2.17 है0 के कुर्रेजात तहसीलदार दौसा द्वारा निम्न प्रकार से पेश किये गयेः-

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha
Date: 2022.02.22 17:24:44 IST
Reason: SelfAttested

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1.	कल्याण पि0 मंगला हि0 1/4 बिलारहन रघुनाथ पि0 मंगला हि0 1/4 राहिन यूको बैंक शाखा सैंथल मूर्तहीन सेवली पत्नी पोखर हि0 1/8, भौरी पत्नि चन्द्र हि0 1/8, पूनी पत्नि रामेश्वर व लाडा पत्नि शंकर हि0 1/8, कजोड़ पुत्र भूरा हि0 1/8 जाति माली सा0 देहखातेदार	411	0.04	चाही-1	2.20
		1	0.04	चाही-1	2.20

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
2.	रघुनाथ पुत्र मंगला राहिन राहिन यूको बैंक शाखा सैंथल मूर्तहीन जाति माली सा0 देहखातेदार	412	0.03	चाही-1	1.65
		135/1	0.50	नहरी	7.50
		2	0.53		9.15

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
3.	कल्याण पुत्र मंगला हि0 52/160, सेवली पत्नि पोखर हि0 27/160 भौरी पत्नि चन्द्र हि0 27/160, पूनी पत्नि रामेश्वर व लाडा पत्नि शंकर हि0 27/160, कजोड़ पुत्र भूरा हि0 27/160 जाति माली सा0 देहखातेदार	134	0.44	नहरी	6.60
		135/2	0.53	नहरी	7.95
		136	0.44	नहरी	6.60
		408	0.14	चाही-1	7.70
		409	0.05	चाही-1	2.75
		5	1.60		31.60

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha
Date: 2022.02.22 17:24:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
दौसा

तहसीलदार दौसा द्वारा पेश कुर्रेजात रिपोर्ट किसी भी पक्ष द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नही की गई। हमने पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2063-66 में दर्ज पक्षकारान की खातेदारी हिस्से व कुर्रेजात रिपोर्ट का मिलान किया गया राजस्व रिकार्ड में कुर्रेजात रिपोर्ट खसरा न0 134 रकबा 0.44 है0, खसरा न0 135 रकबा 1.03 है0, खसरा न0 136 रकबा 0.44 है0, खसरा न0 408 रकबा 0.14 है0, खसरा न0 409 रकबा 0.05 है0, खसरा न0 411 रकबा 0.04 है0 एवं खसरा न0 412 रकबा 0.03 है0, कुल किता 7 कुल रकबा 2.17 है0 में पक्षकारान के खातेदारी हिस्से के अनुसार सही पायी गई है। अतः कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर वादीगण का वाद अंतिम रूप से डिक्री होने योग्य है।

:: आदेश ::

वाद वादीगण तहसीलदार दौसा द्वारा पेश कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा ट्रेस दिनांक 11.12.2009 के मुताबिक खसरा न0 134 रकबा 0.44 है0, खसरा न0 135 रकबा 1.03 है0, खसरा न0 136 रकबा 0.44 है0, खसरा न0 408 रकबा 0.14 है0, खसरा न0 409 रकबा 0.05 है0, खसरा न0 411 रकबा 0.04 है0 एवं खसरा न0 412 रकबा 0.03 है0, कुल किता 7 कुल रकबा 2.17 है0 भूमि वाके ग्राम सैंथल तहसील दौसा के मध्य तकारमा किया जाकर अलग-अलग खाताबन्दी की जाकर कुर्रेजात रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस के अनुसार राजस्व नक्शा में तितम्बा काटे जाकर अलग-अलग लगान कायम करने के आदेश दिये जाते है। कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा ट्रेस तैयार दिनांक 11.12.2009 तथा पेश दिनांक 14.12.2009 इस अंतिम डिक्री का अभिन्न अंग समझा जावेगा। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

अन्तिम निर्णय आज दिनांक 25/2/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मनीषा (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha
Date: 2022.02.22 17:24:44 IST
Reason: SelfAttested